(See Rule 6)

FORM - 'A'

Form for seeking prior approval under section2 of the proposals by the State Government and other authorities.

PART -I
(to be filled up user agency)

1.	Project Details :	
(i)	Short narrative of the proposal and Project/Scheme for which the forest land is requited.	Institute of Hotel Management Catering Technology and applied Nutrition is proposed to be established in Brambay. This Institute will impart training to youths in Hotel Management & Catering Technology who will be gainfully employed in this industry.
(ii)	Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.	Attached
(iii)	Total cost of the project	Rs. 27.00 Cr
(iv)	Justification for locating the project in the forest area.	The proposed area consist of 7.24 acre GM Jangle Jhari land & 2.76 acre notified forest land. This area is in one large stretch and is situated very close to the capital city of Ranchi. This land is ideally suitable for running this skill development institute. The notified forest area is in between and so is necessary for a continuous spread.
(v)	Cost-benefit analysis (to be enclosed).	This Institute will impart new skills in the area of Hotel Management to approx 80 students per year. These students after passing out will be employed in this industry. So the benefit outweighs the cost. Also, the cost benefit analysis is not possible in absolute terms.
(vi)	Employment likely to be generated.	The Institute provides employment (both direct and indirect) to nearly 500 persons on a regular basis.
2.	Purpose-wise break-up of the total land required.	Admin + Classroom : 0.945 Acre Boys Hostels : 0.524 Acre Girls Hostels : 0.32 Acre Principal Residence : 0.06 Acre HOD Residence : 0.037 Acre Senior Lecturer Residence : 0.10 Acre Asst. L. Residence (2 nos) : 0.17 Acre

		Gas Bank : 0.008 Acre Free open spaces : 7.79 Acre Total : 10.00 Acre
3.	Details of displacement of people due to the project, if any:	
(i)	Number of families.	NA
(ii)	Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe families.	NA
(iii)	Rehabilitation Plan. (to be enclosed).	NA
4.	Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).	Not applicable
5.	Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/or penal compensatory afforestation as will as cost for protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).	Undertaking as per rules is submitted.
6.	Details of Certificates/Documents enclosed as required under the instruction.	(i) Map - Submitted (ii) Land Schedule – Submitted (iii) NOC for Jangle Jhari Land from DC, Racnhi - Submitted (iv) FRA Certificate from DC, Ranchi - Submitted (v) Undertaking of CA & NPV as per rules - Submitted (vi) Undertaking that no trees will be falled. Enumeration of trees - Submitted

4.12.2015

Signature
(Name in Block letters)
Designation
Address (Of User Agency)

Date:.........................
Place:........................

State serial No. of proposal
(to be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

Govt. of Jharkhand

Department of Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs

UNDERTAKING

We (Department of Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs, Govt. of Jharkhand) undertake that as per rules if there require any CA and NPV then we made available the same.

Further we, also undertake that no trees will be falled for execution of the project. If in future any tree will be falled for execution of this project then we pay for the same according to rules.

Singh 4.8.2015

(Santosh Kumar Singh)
Executive Engineer

पत्र संख्या – पर्यटन/अ०को०/नि०–02/66/2009(खण्ड) – 1415 /

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची।

राँची, दिनांक – 17/08/2015

विषय : **होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे, राँची के भवन निर्माण हेतु अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण में वर्णित Land Schedule के संबंध में।**

विषय : विभागीय पत्रांक–1346 दिनांक 06.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे, राँची के भवन निर्माण हेतु अंतर विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण विहित प्रपत्र (Form A) के साथ अन्य दस्तावेज के साथ आपको उपलब्ध कराई गई थी। उक्त संलग्न दस्तावेज में वर्णित Land Schedule निम्नवत समझा जाए –

मौजा – ब्राम्बे (थाना संख्या–100)

अंचल – मांडर

जिला – राँची

खाता	खेसरा	अधियाचित रकबा
188	1828	कुल रकबा में से 10 एकड़ (दस एकड़)

विश्वासभाजन

अनु० – संबंधित नक्शा।

17/8/15

(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पत्रांक 3978
दिनांक 24.8.15
राँची वन प्रमण्डल, राँची

शर्मिष्ठा

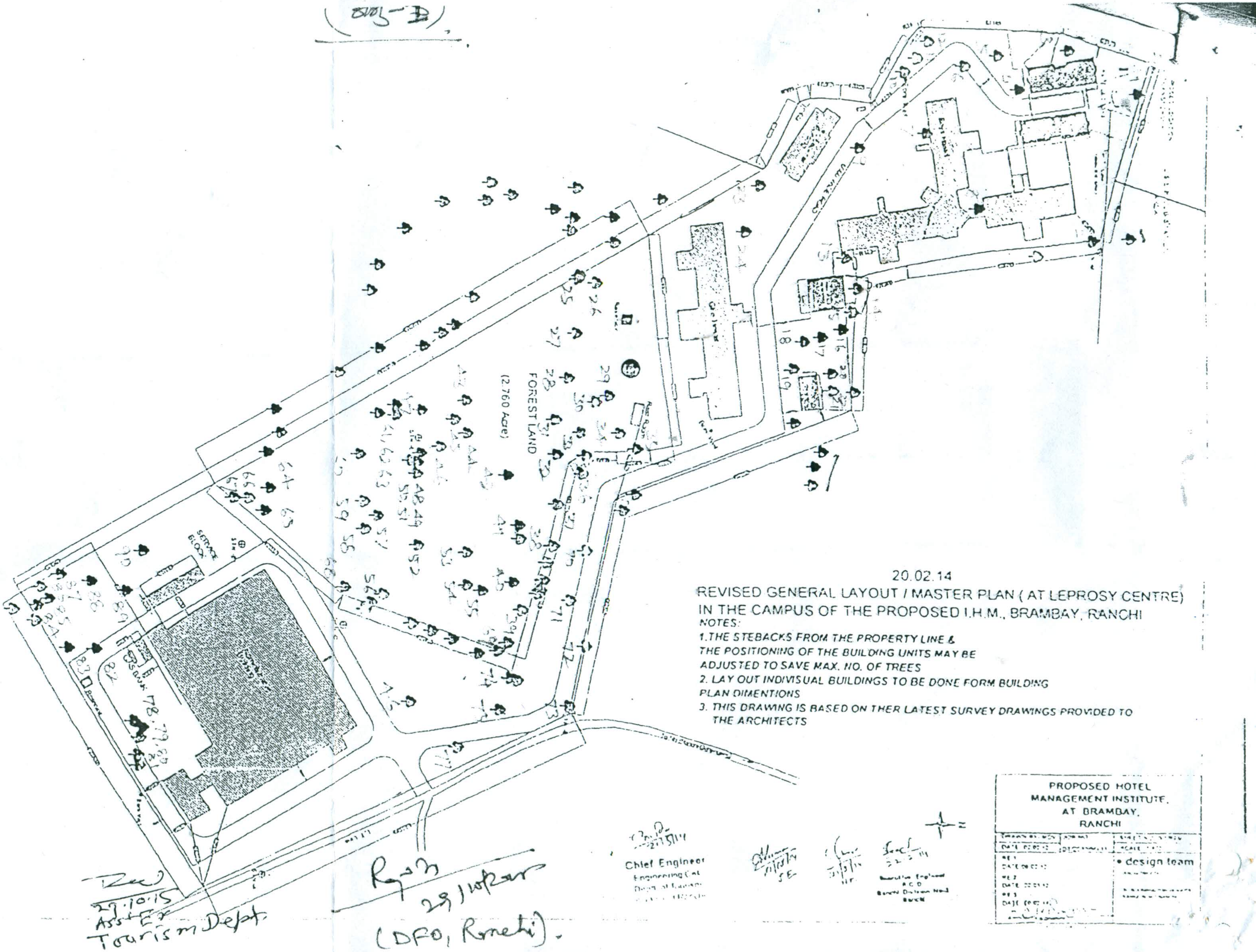

20.02.14

REVISED GENERAL LAYOUT / MASTER PLAN (AT LEPROSY CENTRE) IN THE CAMPUS OF THE PROPOSED I.H.M., BRAMBAY, RANCHI

NOTES:

1. THE STEBACKS FROM THE PROPERTY LINE & THE POSITIONING OF THE BUILDING UNITS MAY BE ADJUSTED TO SAVE MAX. NO. OF TREES
2. LAY OUT INDIVISUAL BUILDINGS TO BE DONE FORM BUILDING PLAN DIMENTIONS
3. THIS DRAWING IS BASED ON THER LATEST SURVEY DRAWINGS PROVIDED TO THE ARCHITECTS

अनु० - 04

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Jharkhand Office of the District Collector, Ranchi

*****

No. : 3402 (II)

Dated 10-11-15 / 80

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.II-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land and Gair Majaruwa Jungal Jhari proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.76 Acre of forest land and 7.24 Acre Gair Majaruwa Jungal Jhari land proposed to be diverted in favour of **Hotel Management Institution of Catering Technology and Applied Nuitrition Building in Ranchi** district falls within jurisdiction of **Brambe** village in **Mandar** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire land 2.76 Acre of forest and 7.24 Acre Gair Majaruwa Jungal Jhari area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Brambe** village is enclosed as annexure I to annexure II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land and Gair Majaruwa Jungal Jhari land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Ends.: As above.

Deputy Commissioner,
Ranchi

(21)

राँची समाहरणालय, राँची

(कल्याण शाखा)

Telephone : 0651-2213348, Email : dwo.ranchi@gmail.com

पत्रांक 3406(ii) क०
दिनांक 10/11/15

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

सचिव,
पर्यटन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

DS(T)

विषय :– माण्डर अंचल अन्तर्गत ब्राम्बे ग्राम स्थित कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र की भूमि पर होटल प्रबंधन संस्थान, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड न्युट्रीशन भवन निर्माण (कौशल विकास) के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में राँची जिलान्तर्गत माण्डर अंचल के ब्राम्बे ग्राम स्थित कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र की भूमि पर होटल प्रबंधन संस्थान, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड न्युट्रीशन भवन निर्माण (कौशल विकास) के लिये कुल 7.24 एकड़ भूमि गैरवानिकी उपयोग के लिये विहित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर संबंधित भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। भूमि का विवरण निम्नवत है :–

किस्म	: गैरमजरूआ भूमि एवं जंगल–झाड़ी भूमि
ग्राम– मौजा	: ब्राम्बे
थाना नं०	: 100
खाता नं०	: 188
प्लॉट नं०	: 1828
रकबा	: 7.24 एकड़

इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में FORM-II की मूल प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक – यथोपरि।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पत्रांक 5580
दिनांक 20/11/15
राँची वन प्रमण्डल

विश्वासभाजन
10/11/15
उपायुक्त,
राँची।

प्रेषण
13/11/15

ग्राम सभा ब्राम्हे

DATE:
PAGE NO.

आज दिनांक 26/05/12 दिन शनिवार को ग्राम पंचायत भवन के प्रांगण मे ग्राम सभा का बैठक किया गया इस बैठक ग्राम सभा की अध्यक्षता श्री जवरा उरांव की अध्यक्षता मे किया गया, जिसके विभिन्न योजनाओ का प्रस्ताव पारित किया गया

प्रस्ताव संख्या ① — पशु चिकित्सालय का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया, खाता नं० 188 प्लाट नं० रकबा

प्रस्ताव संख्या ② : ब्राम्हे ग्राम अन्तर्गत चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

① महुआ टोली आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रस्तावसंख्या-निर्माण खाता नं० प्लाट नं० रकबा

② ब्राम्हे चौक मंमटला टोली में आंगनबाड़ी प्रस्तावसंख्या-2- केन्द्र भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
खाता नं० 1 प्लाट नं० रकबा

③ ऊपर टोली मुसलिम मोहल्ला आंगनबाड़ी प्रस्ताव संख्या-3- केन्द्र भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
खाता नं० प्लाट नं० रकबा

④ सी०डी०आई ब्राम्हे तालाब का सुन्दरीकरण एवं पुर्ननिर्माण सी०सी० कोल कम्पनी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।

1०9/10 ... 20

103

DATE : / /

PAGE NO. :

(5) प्रस्ताव संख्या (5) ÷ मनरेगा अन्तर्गत ~~कुछ~~ से 2009/2010 तक चलने वाले योजनाओं को यथा स्थिति अवस्था में बन्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके साथ ही जो कूप खोदे गए हैं और वह पक्के की स्थिति में नहीं है। लाभुकों द्वारा डरी बनाने में असमर्थता जताई गई लाभुक का नाम रोक दर्ज किया ... उरांव

प्रस्ताव सं० (6) ÷ ग्राम सभा ब्राम्बे द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि कृषि अनुसंधान केन्द्र ब्राम्बे परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जा रहा होटल मैनेजमेन्ट के लिए परिसर अन्तर्गत फोरेस्ट लैण्ड में से जो मौजा ब्राम्बे थाना नं० 100, खाता नं० 188 प्लॉट नं० 1828 रकबा 2.76 डी० (एकड़) जमीन पर्यटन विभाग के लिए वन भूमि जो परिसर के अन्दर है। दिया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव सं० (7) ÷ अद्यतन प्रतीक्षा सूची से एवं न्यूनतम स्कोर के आधार पर चयनित इन्दिरा आवास के नये लाभुकों का अनुमोदन निम्न प्रकार किया गया।

नाम	पिता/पति का नाम, ग्राम	बी०पी०एल - स्कोर
(1) किशुन महली	फागु उरांव, ब्राम्बे	19508 - 15
(2) रवि उरांव	जतरू उरांव, ब्राम्बे	19498 - 16
[illegible]	[illegible]	19506 - 16

DATE / /
PAGE NO.

प्रस्ताव संख्या (8) — बेन्जामिन के घर के सामने से C.T.I पथ किनारे पक्की नाली का निर्माण N.H 75 तक प्रस्ताव पारित किया गया जो दूरी 1700 मीटर है।

प्रस्ताव संख्या (9) — मौजा कुम्बे थाना न० 100
खाता न०   प्लाट न०   रकबा

चाला पतड़ा वन भूमि जो ऊपर शीर्ष में लिखा है। पूर्व से ही गाँव वालों के देखरेख में इसको सुरक्षित रखने प्रयत्न किया गया है। और समय-समय पर गाँव वालों की जरूरत के हिसाब से शादी विवाह में मड़वा के लिए उपयोग में लाया जाता है। और गरीब परिवारों के लिए परिवार के जरूरत के हिसाब से लकड़ी बल्ली दिया जाता है। वर्ष 1985 में अज्ञात लोगो द्वारा वन को उजाड़ने का प्रयत्न किया गया था। जिसे गाँव वाले कुम्बे अन्तर्गत आदिवासी सुख शांति क्लब संगठन द्वारा इसे बचाने का किया कड़ा उपाय। जिसका फलस्वरूप से आज जंगल के रूप में विराजमान है। इसके इस सन्दर्भ में श्रीमान से कहना है, इस वन भूमि को (चाला पतड़ा) को ग्रामीणों की देख रेख और इसका उपभोग के लिए समर्पित किया जाए। यह निर्णय ग्राम सभा कुम्बे द्वारा किया गया।

105

DATE: / /

PAGE NO.:

ग्राम सभा उपस्थित लोगों का हस्ताक्षर

1. [illegible] तिग्गा
2. रामदेव तिग्गा
3. शान्ति तिग्गा वार्ड सदस्य
4. गीता देवी
5. मंजु उराईन जलसहिया
6. फुलमनी तिग्गा वार्ड सदस्य
7. तारा उरॉव वार्ड सदस्य
8. बच्ची उराइन
9. अनुराधा उराईन वार्ड सदस्य
10. [thumb impression] कैली उराइन
11. रजनी खल्खो (सेविका)
12. मेरी तिग्गा (साक्षरता कर्मी)
13. Chandrama
(14) इरशाद इमाम
(15) [illegible]
17. जगदीश उरॉव (अध्यक्ष)
18. सीता बुला तिग्गा
19. [thumb impression] परिया उराईन
20.
21. [thumb impression] बिंदनी उराइन
22.
23.
24. सुरजा उरॉव
25. निर्मल तिग्गा
26. सोनी उरॉव सहिया जाबरा उरॉव
27. [thumb impression] सुकरी उराईन ग्राम सभा अध्यक्ष
28.
29. [illegible] 20.5.12

[Stamp: मुखिया, ग्राम पंचायत [illegible], माण्डर (रांची)]

[Stamp: ग्राम सभा [illegible]]

G.P.S. READING
OF PILLERS ON BOUNDARY WALL

1. Col. 1. (0 mtr.) :- 23° 22.67 N
   86° 08.74 E
   Elev. 634 M

2. Col. 2. (90 mtr.) :- 23° 25.64 N
   85° 8.70 E
   Elev. 634 M

3. Col. 3 (150 mtr) :- 23° 25.66 N
   85° 8.68 E
   Elev. 634 M

4. Col. 4 (210 mtr) :- 23° 25.71 N
   85° 8.66 E
   Elev. 634 M

5. Col. 5 (270 mtr) :- 23° 25.72 N
   85° 8.86 E
   Elev. 634 M

6. Col. 6 (Bolder Boundry) (299 mtr) :- 23° 25.75 N
   85° 8.65 E
   Elev. 635 M

7. Col. 7 (B. Boundary) (351 mtr) :- 23° 25.79 N
   85° 8.62 E
   Elev. 634 M

8. Col. 8 (B. Boundary). (381 mtr) :- 23° 25.77 N
   85° 8.60 E
   Elev. 634 M

9. Col. 9 (B. Boundary) (467 mtr) :- 23° 25.60 N
   85° 8.60 E
   Elev. 634 M

10. Col. 10 (Sub station corner) 512 mtr. :- 23° 25.81 N
    85° 8.64 E
    Elev. 634 M

11. Col. 11 530 mtr :- 23° 25.80 N
    85° 8.65 E
    Elev. 634 M

12. Col. 12. (575 mtr) :- 23° 25.78 N
    85° 8.66 E
    Elev. 634 M

13. Col. 13 (610 mtr.) :- 23° 25.77 N
    85° 8.66 E
    Elev. 633 M

14. Col. 14 (Brick Boundary) (646 mtr) :- 23° 25.75 N
    85° 8.68 E
    Elev. 633 M

15. Col. 15 (Brick Boundary) (665 mtr) :- 23° 25.78 N
    85° 8.67 E
    Elev. 633 M

09/11/15 J.E

09/11/18 AE

16. Col. 16 (Brick Boundary)
(680 mtr) :- 23° 25.76 N
85° 8.67 E
Elev. 632 M

17. Col. 17 (Brick Boundary)
(752 mtr) :- 23° 25.75 N
85° 8.65 E
Elev. 632 M

18. Col. 18 (Brick Boundary)
(829 mtr) :- 23° 25.71 N
85° 8.74 E
Elev. 633 M

19. Col. 19 (Brick Boundary)
(971 mtr) :- 23° 25.64 N
85° 8.76 E
Elev. 633 M

20. Col. 01
(1091 mtr) :- 23° 22.67 N
86° 08.74 E
Elev. 634 M

[signature] 09/11/15 J.E.

[signature] 09/11/15 AG

वन विभाग भूमि पर वृक्षो का आकलन

वृक्ष संख्या	वृक्ष का नाम	गर्त की मोटाई (m)	वृक्ष की ऊँचाई (m)
1.	शिसम	1.20	12
2.	सखुआ	1.40	15
3.	मेदला	1.60	13
4.	मेदला	1.40	13
5.	मेदला	1.60	14
6.	मेदला	1.10	9
7.	मेदला	1.20	14
8.	मेदला	1.20	14
9.	मेदला	1.30	14
10.	शिसम	1.00	10
11.	मेदला	1.20	14
12.	मेवला	1.30	07
13	मेवला	1.40	14
14	मेवला	1.20	15
15	मेवला	1.20	09
16	सरकुआ	150	14
17	सरकुआ	1.20	10
18	सिसम	1.30	10
19	मेवला	0.9	07
20	मेवला	1.10	9.5
21	मेवला	1.30	10
22	मेवला	1.30	9.5
23	शिशम	0.8	14
24	शिशम	0.8	09
25	मेवला	1.20	10
26	मेवला	1.10	10
27	मेवला	1.10	10
28	सखुआ	1.30	15
29	मेदला	1.10	9.5
30	मेदला	1.00	10
31	ईमली	.08	9.5

09/11/15 J.E

09/11/15 AE

नम्बर	नाम वृक्ष का	गर्त की मोटाई (M)	वृक्ष की ऊँचाई (M)	
32	सरकुडा	1.10	09	
33	मेवला	1.10	04	
34	मेवला	0.9	03	
35	मेवला	1.40	10	
36	मेवला	1.50	10	
37	मेवला	0.85	9	
38	सिरस	0.9	5	
39	मेवला	1.20	9	
40	मेवला	1.50	9	
41	मेवला	0.8	8	
42	जलेबी	1.30	11	
43	मेवला	0.1	8	
44	जिलेबी	1.50	11	
45	सरकुडा	1.10	8	
46	मेवला	1.20	12	
47	सरकुडा	1.40	14	
48	सरकुडा	~~140~~ 01.40	14	
49	सरकुडा	1.50	15	
50	मेवला	0.9	8	
51	मेवला	1.40	10	
52	मेवला	1.00	6	
53	सरकुडा	1.60	14	
54	मेवला	1.20	10	
55	मेवला	1.10	10	
56	मेवला	2.00	10	
57	सिरस	0.9	8	
58	मेवला	1.60	10	
59	मेवला	2.50	11	
60	मेवला	1.60	12	
61	सिरस	1.20	10	
62	जिलेबी	0.6	6	
63	जिलेबी	0.6	5	
64	मेवला	0.8	7	
65	मेवला	1.00	7	
66	मेवला	0.7	7	
67	जिलेबी	0.6	6	

09/11/15 J.E.

09/11/15 AE

झाड़ जंगल भूमि पर वृक्षों का आकलन

क्र.सं.	वृक्ष का नाम	गर्त की मोटाई (M)	वृक्ष की ऊंचाई (M)
1	सरकुण्डा	2.00	17
2	सरकुण्डा	1.80	17
3	सरकुण्डा	1.50	15
4	सरकुण्डा	1.90	14
5	सरकुण्डा	1.90	15
6	सरकुण्डा	1.70	15
7	अज्ञात	1.30	8
8	सरकुण्डा	1.10	12
9	अज्ञात	0.5	3
10	अज्ञात	1.00	5
11	अज्ञात	1.00	8
12	जामुन	0.3	10
13	अज्ञात	0.7	5
14	सरकुण्डा	1.40	12
15	अज्ञात	0.8	5
16	सरकुण्डा	2.10	15
17	आम	0.3	14
18	सरकुण्डा	1.70	12
19	सरकुण्डा	1.70	12
20	आम	2.30	10
21	सरकुण्डा	2.00	14
22	सरकुण्डा	1.60	14
23	सरकुण्डा	1.60	12
24	सरकुण्डा	2.00	17
25	सरकुण्डा	1.90	17
26	सरकुण्डा	2.00	17
27	सरकुण्डा	2.00	17
28	सरकुण्डा	2.40	17
29	सरकुण्डा	3.00	17
30	आम	1.60	12
31	सरकुण्डा	2.60	17
32	गमार	1.70	17
33	सरकुण्डा	2.20	17
34	सरकुण्डा	2.50	17

09/11/15
J.E

09/11/15
AE

क्रम सं०	वृक्ष का नाम	गर्त की मोटाई (M)	वृक्ष की ऊँचाई (M)
35	सरकुड़ा	2.50	17
36	मेहला	2.00	14
37	जामुन	1.10	8
38	सिरसन	2.00	13
39	आम	1.40	12
40	सरकुड़ा	2.70	15
41	बेल	1.40	10
42	सरकुड़ा	2.00	13
43	सरकुड़ा	1.50	10
44	महुआ	3.30	12
45	सरकुड़ा	2.10	12
46	बेल	1.40	7
47	महुआ	2.10	10
48	इमली	2.30	12
49	आम	2.80	14
50	सरकुड़ा	2.70	14
51	सरकुड़ा	2.80	15
52	सरकुड़ा	2.80	15
53	अर्जुन	2.70	13
54	आम	1.40	10
55	सरकुड़ा	2.30	12

09/11/15 J.E.

09/11/15 AE

कुल वृक्षों की संख्या

1. वन विभाग भूमि पर

(i) शिशम = ~~08~~ 08 Bu
(ii) सखुआ = 10
(iii) मेढला = ~~43~~ 43 Bu
(iv) ईमली = 01
(v) जलेबी = 5

2. झाड़ जंगल भूमि पर

(i) सखुआ = 32
(ii) जामुन = 02
(iii) इमली = 01
(iv) आम = ~~06~~ 06 Bu
(v) बेल = 02
(vi) शिशम = 01
(vii) महुआ = 02
(viii) गम्हार = 01
(ix) मेढला = 01
(x) अज्ञात = ~~~~ 07 Bu

[signature] 09/11/15 J.E

[signature] 09/11/15 AE

कार्यालय :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल राँची
वन भवन, डोरण्डा, रांची– 834002, (झारखंड)
E-mail : dforanchi2@gmail.com Ph. No. 0651-2480265, FAX – 0651-2482386

जहाँ है हरियाली। वहाँ है खुशहाली॥

पत्रांक 3771 **दिनांक** 14.11.2015

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखंड, रांची।

विषयः **पर्यटन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा रांची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–ब्राम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान की निर्माण हेतु कुल 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि :–

बिन्दु सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल को दर्शाते हुए मूल टोपोशीट नहीं है।	प्रस्ताव को दर्शाते हुए साईट प्लान संलग्न किया गया है। पुनः इसे संलग्न किया जा रहा है एवं टोप्पो शीट भी संलग्न किया जा रहा है। (अनु0:– 1 एवं 2)
2.	प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शों पर संबंधित पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।	संबंधित नक्शों पर मुख्य अभियन्ता, पर्यटन विभाग एवं अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। नक्शों पर अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के साथ पुनः भेजा जा रहा है।
3.	इस परियोजना में 7.24 एकड़ J.J Land भूमि अंतर्गत है। अतः इसके उपयोग के संबंध में उपायुक्त, रांची का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	इस पत्र के साथ अनुलग्नक–3 पर प्रमाण पत्र संलग्न है।
4.	F.R.A, 2006 के तहत् प्रस्तावित वनभूमि का दावा रहित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	इस पत्र के साथ अनुलग्नक–4 पर प्रमाण पत्र संलग्न है।
5.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Geo-reference Digital Plan Shape file में संलग्न नहीं है।	बाद में भेजा जाऐगा।
6.	ग्राम सभा की रिजोलूशन की प्रति।	ग्राम सभा के resolution की आवश्यकता नहीं है।
7.	मौजा मैप।	इस पत्र के साथ भेजी जा रही है। (अनु0:–5)

7.	मौजा मैप।	इस पत्र के साथ भेजी जा रही (अनु0ः–5)
8.	प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी।	विवरणी संलग्न है। प्लॉट नं0–1828, मझोला जंगल–7.24 एकड़ एवं अधिसूचित वन – 2.76 एकड़ (अनु0ः–6)
9.	प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची।	कोई वृक्ष का पातन नहीं होना है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। पुनः भेजा जा रहा है। इस वनभूमि पर लगभग 90 सखुआ के वृक्ष हैं, जिनका पातन नहीं किया जाना है। (अनु0ः–7)
10.	Violation के विरूद्ध दोषी पदाधिकारी पर किये गये कार्रवाई की प्रति।	जंगल झाड़ी भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। अधिसूचित वनभूमि पर कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई कार्य प्रस्तावित है। किसी भी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
11.	दिशा–निर्देश के आलोक में Submission Onlune नहीं है।	यह प्रस्ताव Critical Public Utility Infrastructure के तहत् राज्य सरकार के स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इसमें online submission की आवश्यकता नहीं है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0ः–यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रांची वन प्रमंडल, रांची

ज्ञापांक 3771 दिनांक 14.11.2015

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची को प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची के पत्रांक 1173 दिनांक 29.10.2015 के क्रम में /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रांची वन प्रमंडल, रांची